न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारी:– श्री मासिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या :– **185/2024**

प्रार्थी

1. केशरसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी गुड़ा श्यामा तह0 सोजत जिला पाली राज0।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. चम्पालाल पुत्र जीवाराम
2. बस्तीराम पुत्र जीवाराम
3. भंवरलाल पुत्र जीवाराम जातिगण कलाल
4. मदनलाल पुत्र मोहनदास
5. श्यामसुन्दर पुत्र मोहनदास जातिगण साद
6. कमलादेवी पत्नी सोनाराम
7. केसाराम पुत्र गंगाराम
8. गौतम पुत्र सोनाराम
9. देवाराम पुत्र सोनाराम जाति माली निवासीगण गुड़ा श्यामा
10. दीक्षा गहलोत पुत्र राजेश गहलोत जाति माली निवासी बेरा पतालिया सेहवाज, तह0 मारवाड़ जंक्शन जिला पाली राज0।
11. पूजा पुत्री सोनाराम
12. रेखा पुत्री सोनाराम जातिगण माली निवासीगण गुड़ा श्यामा तह0 सोजत जिला पाली राज0।
13. श्यामलाल बी0 पुत्र भंवरलाल तंवर जाति माली
14. शान्तिलाल तंवर बी0 पुत्र भंवरलाल तंवर जाति माली निवासी नाथलकुड़ी
15. कालूराम पुत्र समरथराम जाति रायका निवासी गुड़ा श्यामा
16. जुंजाराम पुत्र गेपर जाति रायका निवासी गुड़ा श्यामा
17. भूण्डाराम पुत्र भोपालराम जाति रायका नि0 गुड़ा श्यामा
18. मृ0 भेराराम पुत्र सिमरथराम/समरथराम जाति रायका निवासी गुड़ा श्यामा के का0मु0:–
    18/1 गवरी पत्नि भैराराम
    18/2 गुमानाराम पुत्र भैराराम
    18/3 किशनाराम पुत्र भैराराम
    18/4 मदनराम पुत्र भैराराम
    18/5 पपूराम पुत्र भैराराम
    18/6 समुदेवी पुत्री भैराराम जातिगण रायका, निवासी गुड़ा श्यामा तह0 सोजत जिला पाली राज0।
19. वचनाराम पुत्र सिमरथराम जाति रायका निवासी गुड़ा श्यामा के का0मु0–
    19/1 गिरधारी पुत्र वचनाराम के का0मु0
    19/1/1 हापूराम पुत्र वचनाराम के का0मु0
    19/1/1/1 उगमा देवी

19/1/1/2 दिनेश
19/1/1/3 महेन्द्र
19/1/2 सोहनी पुत्री गिरधारी के का0मु0
19/1/2/1 भैराराम पुत्र सोहनी
19/1/3 भंवरी पुत्री गिरधारी
19/2 घीसाराम पुत्र वचनाराम के का0मु0
19/2/1 सायरी पुत्री घीसाराम
19/2/2 गोकुल पुत्र घीसाराम
19/2/3 रेवतराम पुत्र घीसाराम
19/2/4 गोरधन पुत्री घीसाराम
19/2/5 हरिराम पुत्र घीसाराम
19/2/6 पपली देवी पुत्री घीसाराम
19/2/7 मुनी देवी पुत्री घीसाराम
19/3 मेघाराम पुत्र वचनाराम के का0मु0
19/3/1 शैतानराम पुत्र मेघाराम
19/3/2 जीवी देवी पुत्र मेघाराम
19/3/3 अमानराज पुत्र मेघाराम जातिगण रायका निवासीगण गुड़ा श्यामा तह0 सोजत जिला पाली राज0।

20. शिवलाल पुत्र समरथलाल (ला औलाद फौत) जाति रायका निवासी गुड़ा श्यामा तह0 सोजत जिला पाली राज0।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री अर्जुनसिंह राजपुरोहित अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. श्री धर्मीचंद देवासी अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 04 उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक :– 15/12/2025

अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा ग्राम गुड़ा भदावता तहसील सोजत के खसरा नंबर 331 रकबा 1.3200 है0, ख0नं0 324 रकबा 1.3000 है0 व सरहद मौजा खेड़ा नाबरा तह0 सोजत के ख0नं0 18 रकबा 0.5900 है0, ख0नं0 19 रकबा 0.3200 है0, ख0नं0 15 रकबा 0.9300 है0 की अप्रार्थीगण की कृषि भूमि में से आवागमन हेतु 20 फुट चौड़ा रास्ता प्रार्थी की खातेदारी खसरा नम्बर 364 रकबा 2.7300 है0 में पहुंचने का प्राप्त करने का कानूनी अधिकारी हैं। प्रार्थी के अपनी भूमि पर आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। प्रार्थी नियमानुसार रास्ते की राशि जमा करवाने हेतु तैयार है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राज0 काश्त0 अधि0 मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर प्रा0 पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिये उक्त कदीमी रास्ता जो सरहद मौजा गुड़ा भदावता के खसरा नंबर 331, 324, सरहद मौजा खेड़ा नाबरा के ख0नं0 18, 19, 15 कृषि भूमि में से 20 फुट चौड़ा रास्ता दिलवाये जाने तथा राजस्व नक्शे में तरमीम किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं0 01 से 03 व 05 से 20 बावजूद सूचना/तामिली अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वकील अप्रार्थी सं0 04 को पर्याप्त अवसर के बावजूद जवाब प्रा0पत्र पेश नहीं करने से अवसर समाप्त कर जवाब प्रा0पत्र बंद किया गया।

तहसीलदार सोजत से प्रार्थित रास्ते के सम्बन्ध में वांछित तीनो बिन्दु यथा उपलब्ध वैकल्पिक/निकटतम रास्ता, सुविधा जनक उपयोग हेतु आवेदन, अत्यांतिक आवश्यकता है अथवा नहीं से सम्बद्ध बरूवे मौका रूबरू उभय पक्षकारान मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा चाही गई। तहसीलदार, सोजत ने अपने पत्रांक/रीडर/2025/715 दिनांक 21.05.2025 के जरिए प्रस्तुत मौके की वस्तुस्थिति मय नजरी नक्शा सा0मि0 की गई। **तहसीलदार सोजत द्वारा सम्बन्धित पटवारी, भू0अभि0निरी0 गुड़ा कलां द्वारा तैयार फर्द मौका रूबरू प्रार्थी पक्षकार एवं मौतबिरान तैयार मय नजरी नक्शा रिपोर्ट में अंकित किया** कि ग्राम गुड़ा भदावंता के ख0नं0 364 में आने जाने हेतु राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज नहीं हैं। ख0नं0 364 तक आने जाने हेतु सरकारी रास्ते तक सबसे निकटतम दूरी के रास्ते का प्रस्ताव नियमानुसार बनाया गया है, वह रास्ता नजरी नक्शे में पार्ट–ए गुड़ा भदावता व पार्ट–बी खेड़ा नाबरा दोनो ग्रामों की सीमा से होकर हैं। पार्ट–ए ग्राम गुड़ा भदावता में नजरी नक्शे में दर्शित ख0नं0 331 बिन्दु ए से बी की दूरी 88 मी0 तथा रास्ते की चौड़ाई 4 मी0 कुल रकबा 352 वर्ग मी0, इसी प्रकार ख0नं0 324 में बी से सी की दूरी 186 मी0 तथा रास्ते की चौड़ाई 4 मी0 कुल रकबा 744 वर्ग मी0 तथा पार्ट–बी ग्राम खेड़ा नाबरा में नजरी नक्शे में दर्शित ख0नं0 18 बिन्दु अ से ब की दूरी 90 मी0 तथा रास्ते की चौड़ाई 4 मी0 कुल रकबा 360 वर्ग मी0, इसी प्रकार ख0नं0 19 में ब से स की दूरी 68 मी0 तथा रास्ते की चौड़ाई 4 मी0 कुल रकबा 272 वर्ग मी0, इसी प्रकार ख0नं0 15 में स से द की दूरी 90 मी0 तथा रास्ते की चौड़ाई 4 मी0 कुल रकबा 360 वर्ग मी0 रास्ता प्रस्तावित किया हैं। नजरी नक्शे में दर्ज बिन्दु य व र जहां मौके पर रास्ता चल रहा है, ख0नं0 45 व 49 सरकारी खसरे है में से होकर उक्त रास्ता ख0नं0 127 गै0मु0 रास्ते में जाकर मिलता है व खसरा सं0 127 रास्ते पर पक्की सड़क बनी हुई हैं। खसरा सं0 45 व 49 व 127 सरहद मौजा खेड़ा नाबरा में स्थित हैं। प्रस्तावित रास्ते को खातेदारी खसरों में लाल स्याही से दर्शाया गया है व सरकारी खसरो में लाल डोटेट लाईन से दर्शाया गया हैं। प्रस्तावित रास्ते में ख0नं0 364 के आसपास के काफी खातेदार लाभान्वित होगे। मौके पर ख0नं0 15 के खातेदारों द्वारा लकड़ीया व बाड़ कर रास्ता बंद कर दिया गया हैं। उक्त प्रस्तावित रास्ते के मौके पर पुराने चिन्ह कही कही दिखाई दे रहे हैं। ख0नं0 364 में आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता नहीं हैं। तहसीलदार, सोजत भू0अ0 निरीक्षक वृत गुड़ा कलां की मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा लाल स्याही से दर्शित संलग्न पत्रावली किया गया।

वकील अप्रार्थी सं0 04 द्वारा दिनांक 25.09.2025 को प्रस्तुत आपत्ति पर सुना जाकर पुनः रास्ते संबंधी विहित प्रावधानों के तहत उभय पक्षकारों को मौके पर उपस्थित रहने हेतु सुचित करते हुए रिपोर्ट मंगवाई गई, जो सा0मि0 हैं।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 4 सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि सरहद मौजा गुड़ा भदावता तह0 सोजत के ख0नं0 364 में आने जाने के लिये उक्त कदीमी रास्ता जो सरहद मौजा गुड़ा भदावता तह0 सोजत के खसरा नंबर 331, 324 तथा सरहद मौजा खेड़ा नाबरा के ख0नं0 18, 19, 15 की कृषि भूमि में से माफिक तहसीलदार सोजत मय भू0अ0नि0 गुड़ा कलां व संबंधित पटवारी हल्का द्वारा नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शित प्रस्तावित रास्ता दिलवाये जाने तथा राजस्व नक्शे में तरमीम किये जाने की ईशतदुआ की हैं। जवाब बहस में वकील अप्रार्थी सं0 04 ने निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रकरण में सम्पूर्ण तामिल हुए बिना, मृतक व्यक्ति को पक्षकार बनाकर, न्यायालय से मौका की रिपोर्ट मंगवा दी गई, जिस पर आपत्ति करने पर उनकों पक्षकार बनाया गया तथा पुनः रिपोर्ट मंगवाई गई। उक्त रिपोर्ट भी पक्षकार व संबंधित आर0 आई0 की अनुपस्थिति में बनाई गई हैं। प्रार्थी केसरसिंह अपनी कृषि भूमि ख0नं0 364 में मौके पर चालू रास्ते ख0नं0 363 गौचर भूमि से होकर आता हैं। प्रार्थी को किसी प्रकार की रास्ते की आवश्यकता नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा झूठे व मनगढ़त तथ्यों के आधार पर उक्त प्रा0पत्र पेश किया है। जो काबिले खारिज योग्य होने से खारिज किये जाने की ईशतदुआ की हैं।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस उभयपक्षों को सुना तथा राजस्व रेकर्ड मय मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन किया। यहां सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) का उल्लेख करना आवश्यक है। जिसके अनुसार "1. यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये नहीं है और 2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है।" चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी की खातेदारी जोत में पहूँच हेतु राजस्व रेकर्ड में कोई रास्ता दर्ज नहीं हैं। वकील अप्रार्थी की आपत्ति पर पुनः रिपोर्ट मंगवाई जाने पर भी संबंधित भू0अ0नि0 द्वारा नजरी नक्शे में लाल स्याही द्वारा दर्शित प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं हैं। प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0नं0 364 में पंहुच हेतु निकटतम रास्ता खातेदारी ख0नं0 331, 324, 18, 19, 15 से होकर सिवायचक खसरा नं0 45, 49 के मौके पर विद्यमान रास्ते से जाकर ख0नं0 127 किस्म गै0मु0 रास्ता तक जाता हैं। चूंकि सिवायचक ख0नं0 45, 49 की किस्म गै0मु बाला प्रतिबन्धित किस्म होने से उक्त खसरान से रास्ता नहीं दिया जा सकता हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी न्यायालय के समक्ष Clean Hand से उपस्थित हुए है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के Mandatory Provision को पूर्ण करने तथा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा उक्तानुसार देय प्रतिकर की दोगुणा भूमि रास्ता प्रयोजनार्थ दिलवाया जाना उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (पाली)

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त विवेचना/विश्लेषणानुसार अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट 1955 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा ग्राम गुडा भदावता, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुड़ा कलां तहसील सोजत के वर्तमान खसरा नम्बर 364 रकबा 2.7300 है0 कृषि भूमि में आवागमन हेतु रास्ता अप्रार्थीगण की खातेदारी खसरा नंबर 331, 324, 18, 19, 15 के सम्बद्ध खातेदारानों के नाम के आगे अंकित कृषि भूमि में से (186000/– रू0 × 2 × 0.2088 है0 = 77674/– रूपये उनके नाम के सामने अंकित भूमि प्रतिकर देय राशि का भुगतान निम्नांकित रूप से उनके हिस्सेनुसार तहसीलदार, सोजत द्वारा (डी0एल0सी0 की दर से दो गुणा प्रतिकर राशि) करवाये जाने पर उपलब्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है :–

क्र0सं0	ख0नं0 व किस्म	कुल रकबा (है0) में	खातेदारो/काश्तकारो के नाम मय वल्दियत कौमियत व सकूनत	रास्ते की भूमि का रकबा है0 में	प्रतिकर की राशि रूपये में (डीएलसी की दौगुना)
01. 02. 03.	331 बा0दो0	1.3200	चम्पालाल पुत्र जीवाराम 1/3 बस्तीराम पुत्र जीवाराम 1/3 भंवरलाल पुत्र जीवाराम 1/3 जाति कलाल सा. देह खातेदार	88 मी0× 4 मी0 = 0.0352	4364/–रू 4364/–रू 4364/–रू
04. 05.	324 बा0दो0	1.3000	मदनलाल पुत्र मोहनदास 1/2 श्यामसुन्दर पुत्र मोहनदास 1/2 जाति साद सा. गुड़ा श्यामा हाल गुड़ा भदावता खातेदार	186 मी0× 4 मी0 = 0.0744	13838/–रू 13838/–रू
06. 07. 08. 09. 10. 11.	18 बा0दो0	0.5900	कमलादेवी पत्नि सोनाराम 1/20 गौतम पुत्र सोनाराम 1/20 देवाराम पुत्र सोनाराम 1/20 पुजा पुत्री सोनाराम 1/20 रेखा देवी पुत्री सोनाराम 1/20 जातिगण माली सा0 गुड़ाश्यामा खातेदार राहिन प्रत्येक का पूर्ण हिस्सा राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा हरियामाली केसाराम पुत्र गंगाराम 1/4 जाति माली सा. गुड़ाश्यामा खातेदार	90 मी0× 4 मी0 = 0.0360	670/–रू 670/–रू 670/–रू 670/–रू 670/–रू 3348/–रू

2.			दीक्षा गहलोत पुत्री राजेश गहलोत 1/20 जाति माली सा. डेरा पतालिया सेहवाज तह. मा. ज. खातेदार		8696/-रू
13.	19 बा0दो0	0.3200	श्यामलाल बी. पुत्र भंवरलाल तंवर 1/2	68 मी0× 4 मी0 = 0.0272	5060/-रू
14.			शांतिलाल तंवर बी. पुत्र भंवरलाल तंवर 1/2 जाति माली सा. नाथलकुण्डी खातेदार		5060/-रू
15.	15 बा0दो0	0.9300	कालूराम पुत्र समरथाराम 1/27	90 मी0× 4 मी0 = 0.0360	496/-रू
16.			जुजारराम पुत्र गेपरराम 2/9		2976/-रू
17.			भुण्डाराम पुत्र भोपालराम 2/9		2976/-रू
18.			भैराराम पुत्र समरथाराम 1/27		496/-रू
19.			वचनाराम पुत्र समरथाराम 1/9		1488/-रू
20.			शिवलाल पुत्र समरथाराम 1/27 जाति राईका सा. गुड़ाश्यामा खातेदार		496/-रू
21.			श्यामलाल बी. पुत्र भंवरलाल तंवर 1/6		2232/-रू
22.			शांतिलाल तंवर बी. पुत्र भंवरलाल तंवर 1/6 जाति माली सा. नाथलकुण्डी खातेदार		2232/-रू

उक्त रास्ते का उपयोग सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रहेगा। तहसीलदार, सोजत स्तर पर उक्त आदेश की पालना अर्थात प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जावें। निर्णय की प्रति व मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय का एक भाग माना जाये एवं इनकी प्रति तहसीलदार, सोजत को भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
सहायक कलक्टर, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 15/12/2025 को सरे इजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
सहायक कलक्टर, सोजत